Regd. No. CHD/0093/2015–2017

Haryana Government Gazette

EXTRAORDINARY

Published by Authority

© Govt. of Haryana

No. 123-2016/Ext] CHANDIGARH, SUNDAY, AUGUST 7, 2016 (SRAVANA 16, 1938 SAKA)

हरियाणा सरकार

पशुपालन एवं डेयरी विभाग

अधिसूचना

दिनांक 7 अगस्त, 2016

पशु संक्रामक एवं संसर्गजन्य रोग निवारण एवं रोकथाम अधिनियम, 2009.

सख्यां 25125–ए०एच–2.— पशु संक्रामक एवं संसर्गजन्य रोग निवारण एवं रोकथाम अधिनियम, 2009 (वर्ष 2009 का 27) की धारा 6 की उपधारा (1) के साथ पठित धारा 7 की उप–धारा (1) तथा (2) के द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए, हरियाणा सरकार द्वारा यमुना नगर तथा सोनीपत जिलों को अश्व प्रजाति के पशुओं में गलेंडर्स रोग से बचाव, नियन्त्रण व उन्मूलन के लिए एतद् द्वारा ''नियन्त्रित क्षेंत्र'' घोषित किया जाता है तथा घोड़े, गधे, खच्चर व अश्व प्रजाति के अन्य पशुओं की, जहां वे इन जिलों में रखे गए हैं, से किसी अन्य स्थान पर राज्य के अन्दर या बाहर आवाजाही को प्रतिबन्धित किया जाता है तथा इन जिलों में इन पशुओं की दौड़, मेले, प्रदर्शनी, खेल के आयोजन तथा एकत्रित करने पर प्रतिबन्ध लगाया जाता है।

विनीत महाजन,
उप सचिव हरियाणा सरकार,
पशुपालन एवं डेयरी विभाग।

चण्डीगढ़:
दिनांक 7 अगस्त, 2016.

HARYANA GOVERNMENT

ANIMAL HUSBANDRY & DAIRYING DEPARTMENT

Notification

The 7th August, 2016

THE PREVENTION AND CONTROL OF INFECTIOUS AND CONTAGIOUS DISEASES IN ANIMALS ACT, 2009

No. 25125-AH-2.— In exercise of the powers conferred by Sub-section (1) of Section 6 read with Sub-section (1) and (2) of Section 7 of "The Prevention and Control of Infectious and Contagious Diseases in Animals Act, 2009 (27 of 2009)", the Government of Haryana, hereby declares the Districts of Yamuna Nagar and Sonepat as "controlled area" for equine species of animals to prevent, control and eradicate Glanders disease and prohibits the

movement of horses, donkeys, mules and other animals belonging to equine species from the place where they are kept in aforementioned Districts to any other place within or outside the State and also prohibits the holding of races, fair, exhibition, games and gathering of such animals in these Districts.

VINEET MAHAJAN,
Deputy Secretary to Government Haryana,
Animal Husbandry and Dairying Department.

Chandigarh:
The 7th August, 2016.

हरियाणा सरकार

पशुपालन एवं डेयरी विभाग

अधिसूचना

दिनांक 7 अगस्त, 2016

पशु संक्रामक एवं संसर्गजन्य रोग निवारण एवं रोकथाम अधिनियम, 2009.

सख्यां 25126–ए०एच–2.— पशु संक्रामक एवं संसर्गजन्य रोग निवारण एवं रोकथाम अधिनियम, 2009 (वर्ष 2009 का 27) की धारा 3 की उपधारा (क) के द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए, हरियाणा सरकार द्वारा राज्य में राजकीय पशु चिकित्सालयों/पॉली क्लीनिकों में पद स्थापित वैटेरीनरी सर्जनों को एतद् द्वारा उक्त अधिनियम के समस्त प्रयोजनों व उद्देश्यों के लिए "वैटरीनेरियन" घोषित किया जाता है तथा वे अपने स्थानीय कार्यक्षेत्र की सीमा में शक्तियों का उपयोग व कर्तव्यों का निर्वहन करेंगे।

इसके अतिरिक्त उक्त अधिनियम की धारा 3 की उपधारा (ख) के द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए, हरियाणा सरकार द्वारा पशुपालन एवं डेयरी विभाग के अधीन समस्त जिलों के उप निदेशकों को एतद् द्वारा उक्त अधिनियम के समस्त प्रयोजनों व उद्देश्यों के लिए "वैटेरीनरी आफिसर" घोषित किया जाता है तथा वे अपने स्थानीय कार्यक्षेत्र की सीमा में शक्तियों का उपयोग व कर्तव्यों का निर्वहन करेंगे।

विनीत महाजन,
उप सचिव, हरियाणा सरकार,
पशुपालन एवं डेयरी विभाग।

चण्डीगढ़:
दिनांक 7 अगस्त, 2016.

HARYANA GOVERNMENT

ANIMAL HUSBANDRY & DAIRYING DEPARTMENT

Notification

The 7th August, 2016

THE PREVENTION AND CONTROL OF INFECTIOUS AND CONTAGIOUS DISEASES IN ANIMALS ACT, 2009

No. 25126-AH-2.— In exercise of powers conferred by Sub-section (a) of Section 3 of the "Prevention and Control of Infectious and Contagious Diseases in Animals Act, 2009 (Act 27 of 2009)," the Government of Haryana, hereby declares that the Veterinary Surgeons posted in Government Veterinary Hospitals/ Polyclinics in the State as "Veterinarians" for all purposes and intents of said Act and they shall exercise their powers and discharge their duties within local limit of their jurisdiction.

Further, in exercise of powers conferred by Sub-section (b) of Section 3 of the said Act, the Government of Haryana, hereby declares that all the District Deputy Directors of Animal Husbandry and Dairying Department as "Veterinary Officers" for all purposes and intents of the said Act and they shall exercise their powers and discharge their duties within local limit of their jurisdiction.

VINEET MAHAJAN,
Deputy Secretary to Government Haryana,
Animal Husbandry and Dairying Department.

Chandigarh:
The 7th August, 2016.

54530—C.S.—H.G.P.,Chd.